न्यायालय ए0एच0गौरी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर।

(1) अपील संख्या : 09/2008

(1) मोहनी देवी पुत्री श्री किस्तुराराम जाति जाट निवासी बम्बलू तहसील बीकानेर जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

(1) श्रीमती कुशलीदेवी पत्नी श्री किस्तुराराम जाति जाट निवासी बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर
(2) राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–1 — रेस्पोडेन्टान

अपील बनाराजगी इन्तकाल संख्या 312 दिनांक 07–01–1983 जिसकी रूह से अपीलान्ट जायज वारिस होने के बावजूद भी नाम दर्ज नहीं किया गया, को निरस्त करने व अपील मंजूर करने बाबत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रामचंद्रसिंह भाटी, अभिभाषक, अपीलान्ट
2. श्री दामोदरदास व्यास, पेरोकारराज राज्य की ओर से
3. श्रीमती कुशलीदेवी पत्नी कस्तुराराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय है।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14–05–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन विद्वान उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–1 की आज्ञा दिनांक 07–01–1983 इन्तकाल संख्या 312 ग्राम शोभासर से व्यथित होकर इस न्यायालय में दिनांक 17–12–2007 को प्रस्तुत की गई है।

2 संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि गांव शोभासर तहसील कोलायत स्थित खेत खसरा नम्बर 198/1 तादादी 34 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता श्री किस्तुराराम के नाम से गैर खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर अपीलान्ट का अपने पिता के समय से सामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट एक गरीब भूमिहीन काश्तकारी पेशा व्यक्ति है तथा खेती, मजदूरी कर अपना वा अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है।

3 अराजी मुतनाजा के अलावा अपीलान्ट के पिता के नाम ग्राम बम्बलू में खसरा न0 136 व 850 मे कुल 20.1800 हैक्टेयर खातेदारी भूमि और है जिस पर भी अपीलान्ट कर सामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता कस्तूराराम के फोत होने पर ग्राम बम्बलू की भूमि किस्तुराराम के सभी जायज वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई मगर ग्राम शोभासर की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गैर कानूनी रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर इन्तकाल संख्या 312 दिनांक 07–01–1983 के जरिये राजस्व रिकार्ड में अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली जो सरासर कानून व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की जांच किये बगैर सरासर एकतरफा तौर पर बाला–बाला ही

कार्यवाही कर इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो विधि व कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कभी कोई नोटिस नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार नहीं होने से आदेश निरस्त योग्य है।

4 किस्तुराराम के निम्नलिखित जायज वारिसान हैं :–

1. कुशलीदेवी पत्नी, मोहनीदेवी पुत्री, हीरादेवी पुत्री, कमांदेवी पुत्री मगर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच के अपीलान्ट को सुने बिना सबूत व सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना एकतरफा तौर पर बाला–बाला ही कार्यवाही कर अराजी मुतनाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम इन्तकाल तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया जो गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अराजी मुतनाजा को अथक मेहनत कर हजारों रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया है। अपीलान्ट अराजी मुतनाजा को ही काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करती आ रही हैं। अपीलान्ट अराजी मुतनाजा को अपने पिता के समय से निरन्तर काश्त करती आ रही है। अराजी मुतनाजा पर वर्तमान में ग्वार की फसल खडी है तथा मौके पर अपीलान्ट ने अपने परिवार सहित ढ़ाणी–कुण्ड बनाकर आबाद है।

5 दिनांक 13–12–2007 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अन्य तीन व्यक्तियों को साथ लेकर अराजी मुतनाजा पर स्थित अपीलान्ट की ढ़ाणी पर आई व अपीलान्ट को अराजी मुतनाजा खाली करने को कहा जिस पर अपीलान्ट ने इन्कार किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को अराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल करने की धमकी दी व भूमि अपने नाम होने व विक्रय करने की धमकी दी जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन कोलायत जाकर नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कभी भी अपीलान्ट को सबूत व सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई जो कानून व नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

6 इस अपील के रेस्पोडेंट राज्य को नोटिस किया गया जिस पर राज्य की ओर से पैरोकाराज उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कुशलीदेवी के विरूद्ध दिनांक 06–05–2013 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड भी तलब करने पर दिनांक 23–04–2018 को न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसका मिलान कर शामिल अपील कराया गया तथा मूल रिकार्ड वापिस राजस्व विभाग को लौटाया गया।

7 हमने दिनांक 09–05–2018 को उभयपक्ष बहस सुनी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलमीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा फार्म नं0 3 में ग्राम पंचायत बम्बलू के द्वारा श्री किस्तुराराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी बम्बलू की मृत्यु के बाद जायज वारिसान का प्रमाण पत्र दिनांक 20–01–2007 का पेश किया जिसमें कुशलीदेवी पत्नी, मोहनीदेवी पुत्री, हीरा पुत्री एवं कमां पुत्री अंकित है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फॉर्म नं0 3 के साथ वारिसान का प्रमाण पत्र पेश किया तथा बहस में बताया कि अन्य शेष वारिसों के नाम भूमि विरासतन इन्तकाल में दर्ज नहीं होने पर दर्ज की जावे ।

8 हमने बाद बहस प्रस्तुत रिकार्ड व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन कर मनन किया तो ग्राम शोभासर के इन्तकाल संख्या 312 खसरा नम्बर 198 तादादी 34 बीघा 14 बिस्वा जो किस्तुराराम से कॉलम संख्या 11 में फौत होने पर कुशलीदेवी बेवा किस्तुराराम जाति जाट निवासी बम्बलू गैर खातेदार के नाम से इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फॉर्म नं0 3 के साथ वारिसान का प्रमाण पत्र पेश किया। सर्वप्रथम अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। प्रस्तुत अपील उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–1 की आज्ञा दिनांक 07–01–1983 के

विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17–12–2007 को प्रस्तुत की गई है अपीलान्ट की ओर से दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसमें देरी के कारणों को लिखा है। जिसका कोई खण्डन प्रस्तुत नही किया गया हैं। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9 अपीलांट ने स्व0 किस्तूराराम के वारिसान के हैसियत से भूमि का नामांतरकरण दर्ज नही करने के कारण अपील प्रस्तुत की हैं तथा स्व0 स्व0 किस्तूराराम के अपीलांट रेस्पोडेन्ट सहित 4 वारिसान होने का वारिसनामा ग्राम पंचायत बम्बलू दिनांक 20.1.2007 की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामांतरण से नामांतरकण सं0 312 दिनांक 7.1.83 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि स्व0 किस्तूराराम के वारिसान की जांच कर पात्र वारिसान के नामांतरण की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 14–05–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर